भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/20/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 30 जून 2026

जांच शुरूआत अधिसूचना
SETU case ID- AD/OI/020/2026

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "किसी भी रूप में 6x4 और 4x2 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

1. **फा. सं. 6/20/2026-डीजीटीआर:** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स आईपीएलटेक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "किसी भी रूप में 6x4 और 4x2 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "किसी भी रूप में 6x4 और 4x2 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर" है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में पीयूसी के सभी रूपों में आयात शामिल हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्णतः निर्मित इकाइयां (सीबीयू), पूर्णतः नॉक्ड डाउन इकाइयां (सीकेडी) और सेमी नॉक्ड डाउन इकाइयां (एसकेडी) शामिल हैं। तथापि, स्वतंत्र आधार पर आयातित पीयूसी के भाग विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।

4. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन कार्यों में किया जाता है। ये वाहन औद्योगिक, वाणिज्यिक और वितरण प्रयोजनों के लिए सीमेंट, स्टील, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी), पैक किए गए सामान, निर्माण सामग्री और संबद्ध कार्गो सहित वस्तुओं और सामग्रियों के विधिसम्मत परिवहन के लिए डिज़ाइन और नियोजित किए जाते हैं।

5. विचाराधीन उत्पाद का संचालन मुख्यतः फ्लीट ऑपरेटरों, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं, निर्माताओं, वितरकों अथवा उनके अधिकृत ठेकेदारों द्वारा विनिर्माण सुविधाओं, गोदामों, वितरण केंद्रों, बंदरगाहों, टर्मिनलों और ग्राहक डिलीवरी स्थानों के बीच वस्तुओं के बिंदु-से-बिंदु परिवहन के लिए, लागू मोटर वाहन कानूनों, परिवहन विनियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अनुभाग XVII और अध्याय 87 के अंतर्गत वर्गीकृत है। क्षति जांच अवधि और जांच अवधि के दौरान पीयूसी का भारत में आयात एचएस कोड 87012400 और 87049012 के अंतर्गत किया गया है। तथापि, उत्पाद अन्य प्रशुल्क शीर्षों के अंतर्गत भी आयात किया जा सकता है और इसलिए सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदक ने निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव किया है:

क्रम सं.	**मापदंड**	**मान**	**पीसीएन**
1.	एक्सल कॉन्फ़िगरेशन	6x4	A
1.	एक्सल कॉन्फ़िगरेशन	4x2	B
2.	पावर ट्रांसमिशन	ई-एक्सल	P
2.	पावर ट्रांसमिशन	गियर बॉक्स	Q
3.	बैटरी क्षमता	282 V	1
3.	बैटरी क्षमता	302 V	2
3.	बैटरी क्षमता	376 V	3

उदाहरणात्मक कोड:

एपी-1: यह 6x4 एक्सल विन्यास, ई-एक्सल आधारित शक्ति-संचरण तथा 282 वोल्ट की बैटरी क्षमता को दर्शाता है।

बीक्यू-3: यह 4x2 एक्सल विन्यास, गियर बॉक्स आधारित शक्ति-संचरण तथा 376 वोल्ट की बैटरी क्षमता को दर्शाता है।

8. वर्तमान जांच के पक्षकार जांच शुरू करने की सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों,

कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण सहित सभी दृष्टियों से तुलनीय हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता उनका परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग करते हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामान की "समान वस्तु" माना गया है।

ग. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

11. आवेदक ने 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 (12 माह) को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। प्राधिकारी ने इसे ही जांच की अवधि माना है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ङ. घरेलू उद्योग और आधार

12. यह आवेदन-पत्र मैसर्स आईपीएलटेक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश के संबद्ध सामानों के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह भारत में संबद्ध सामानों का प्रमुख घरेलू उत्पादक है। अभिलेख पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आवेदक जांच अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु के कुल उत्पादन के प्रमुख अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक प्रथम दृष्टया पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग की पात्रता को पूरा करता है और घरेलू उद्योग है तथा आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. तथाकथित पाटन का आधार

क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुलग्नक-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का हवाला दिया है और यह उल्लेख किया है कि चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, उनका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुलग्नक-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने अनुरोध किया है कि मूल्य सूचियों, वाणिज्यिक अथवा विक्रय चालानों, व्यापार पत्रिकाओं तथा अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मूल्य सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, चीन जन.गण. अथवा किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों अथवा लागत के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। आवेदक ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई पृथक एचएस कोड उपलब्ध नहीं है और इसका आयात एवं निर्यात विभिन्न एचएस कोडों के अंतर्गत किया जाता है, जिनके अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद से इतर उत्पाद भी आते हैं। इसलिए ऐसे एचएस कोडों के अंतर्गत कीमतें सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विश्वसनीय आधार प्रदान नहीं करेंगी। अतः आवेदक ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ सहित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

ख. निर्यात कीमत

16. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम्स आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री मालभाड़ा, अंतर्देशीय मालभाड़ा, बीमा, निकासी शुल्क, बंदरगाह शुल्क, डीलर कमीशन, बैंक शुल्क और ऋण लागत के निमित्त समायोजन किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पर्याप्त है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

18. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है। आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास के साक्ष्य उपलब्ध हैं। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

19. उपर्युक्त से, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं, जो नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत पाटनरोधी जांच प्रारंभ किए जाने को उचित ठहराते हैं, ताकि कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि अधिरोपित की जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के

संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने पर, तथा अधिनियम की धारा 9क और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो यदि लगाई जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

21. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. इस जांच के लिए सभी सूचना, प्रश्नावलियां और प्रस्तुतियां इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से दायर की जानी चाहिए। प्राधिकारी ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई प्रस्तुतियों पर विचार नहीं कर सकते हैं।

23. जांच में भाग लेने के लिए, सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setudgtr.gov.in) पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। यदि किसी हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराने में कोई कठिनाई हो, तो https://setu.dgtr.gov.in/help-desk पर उपलब्ध विवरणों के माध्यम से डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों की सभी संप्रेषण और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित सेतु आईडी AD/OI/020/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल के माध्यम से दायर की जानी चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तुतियों का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो, जबकि आंकड़ा फाइलें समुचित रूप से संबद्ध गणनाओं के साथ एमएस एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत की जाएं।

24. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

25. जांच में रुचि रखने वाले पक्षकारों को वर्तमान जांच में अपनी रुचि, जिसमें हित की प्रकृति भी शामिल है, से अवगत कराने तथा इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं/प्रस्तुतियां दायर करने की सलाह दी जाती है।

26. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतियां कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार को उसी का एक अगोपनीय संस्करण भी साथ-साथ दायर करना आवश्यक है। अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए।

27. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) नियमित रूप से देखने का निर्देश दिया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं, अंतिम निष्कर्ष और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने का भी निर्देश दिया जाता है।

ट. समय सीमा

28. गोपनीय संस्करण (सीवी) और अगोपनीय संस्करण (एनसीवी) को उस तिथि से 37 दिनों के भीतर सेतु पोर्टल के संबंधित निर्दिष्ट अनुभागों में अपलोड किया जाना चाहिए, जिस तिथि को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय संस्करण

को प्राधिकारी द्वारा परिपत्रित किया जाएगा अथवा नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकते हैं।

29. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराने का इच्छुक कोई भी पक्षकार सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करेगा और अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया तथा प्रस्तुतियां इस जांच शुरूआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर ही दायर करेगा।

30. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां दायर करने की 15-दिवसीय अवधि इस जांच शुरूआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

31. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय का विस्तार: यदि प्राधिकारी, किसी पश्चातवर्ती सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद अथवा पीसीएन पद्धति में ऐसा संशोधन करते हैं, जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरूआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार दिया जाएगा। यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद की अधिसूचना और पीसीएन के निर्धारण की तिथि से उपलब्ध होगा। यह विस्तार ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद अथवा पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, 15 दिनों से अधिक समय-विस्तार के अनुरोधों पर, यदि विस्तार दिया गया हो, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

32. समय-विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकार द्वारा मूल समय-सीमा से कम से कम तीन दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के पश्चात प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर प्रस्तुति करता है अथवा सूचना देता है, वहां उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय संस्करण साथ-साथ प्रस्तुत करना होगा।

34. ऐसी प्रस्तुतियां प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। जिन प्रस्तुतियों पर इस प्रकार का अंकन नहीं होगा, उन्हें प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित अथवा, जहां अनुक्रमण संभव न हो, रिक्त किया गया हो। ऐसी सूचना का, जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उचित और पर्याप्त सारांश प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

36. गोपनीय संस्करण में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/या ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी जिसे सूचना प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को स्वभावतः अथवा अन्य कारणों से गोपनीय बताया जाता है, उसके संबंध में सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

37. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट होते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

38. अगोपनीय सारांश में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषयवस्तु को उचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों

में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है और उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के संदर्भ में पर्याप्त एवं युक्तिसंगत कारणों सहित विवरण प्रस्तुत करना होगा।

39. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता संबंधी दावों पर आवेदन-पत्र के अगोपनीय संस्करण की प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

40. गोपनीयता के दावे के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुरूप, सार्थक अगोपनीय संस्करण अथवा पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना की गई किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

41. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय संस्करण सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ होंगे।

ढ. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय अथवा युक्तियुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज करते हुए केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी